

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

अधिसूचना

14/एम 7-91/2012-उ० शि०..... अनुग्रह नारायण सिन्हा समाज अध्ययन संस्थान अधिनियम-1964 (बिहार राज्य अधिनियम संख्या-06/1989 द्वारा यथा संशोधित) की-धारा-5 (1) (c) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा कुलपति, वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा को एवं धारा 5 (1)(h) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रो० नीलरत्न, अनुग्रह नारायण सिन्हा समाज अध्ययन संस्थान, पटना को अधिसूचना निर्गत की तिथि से दो वर्षों के लिए अनुग्रह नारायण सिन्हा समाज अध्ययन संस्थान, पटना में नियन्त्रण पर्वद के लिए सदस्य मनोनीत किया जाता है।

आदेश दिया जाता है कि इसे बिहार गजट में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति नियन्त्रण पर्वद को दे दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(सतीश चन्द्र झा)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक: 14/एम-7-91/2012

उच्च शिक्षा.पटना, दिनांक...../.....2019

प्रतिलिपि- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, पटना को राजकीय गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह०/-

(सतीश चन्द्र झा)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक: 14/एम-7-91/2012 - 1742

उच्च शिक्षा.पटना, दिनांक 09/10/2019

प्रतिलिपि- कुलपति, वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा/प्रो० नीलरत्न, अनुग्रह नारायण सिन्हा समाज अध्ययन संस्थान, पटना/ महामहिम राज्यपाल के विशेष कार्य पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, /निदेशक, अनुग्रह नारायण सिन्हा समाज अध्ययन संस्थान, पटना / निदेशक, उच्च शिक्षा/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-14 एवं आई० टी० मैनेजर शिक्षा विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/20/10/2019

(सतीश चन्द्र झा)

सरकार के विशेष सचिव